

प्रेषक,
सुधीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
जिलाधिकारी,

मेरठ, हापुड, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, गौतमबुद्ध नगर, जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट, झांसी, जौनपुर, मिर्जापुर, आगरा, अलीगढ़, कासगंज, बदायूं, कानपुर नगर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, संत रविदास नगर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, संतकबीर नगर, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, गोण्डा, ललितपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक : 23 दिसम्बर, 2019

विषय: वर्ष 2019-20 में शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2019-20 में शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिये धनावंटन हेतु एम0एच0ए0 के पत्र संख्या-32-7/2014-एन0डी0एम0-1, दिनांक 08 अप्रैल, 2015 द्वारा जारी गाइड लाइन के आइटम नं0-3(क) के प्राविधान-राहत कैम्प में सुरक्षित बचाकर लाये गये व्यक्तियों/शरणार्थियों/प्रभावितों के अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सुविधा आदि की व्यवस्था किये जाने के आलोक में गृह विहीन/निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने हेतु कम्बल कय के लिये एवं अलाव जलाने हेतु रू0 8,13,00,000/-(रू0 आठ करोड़ तेरह लाख मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रमांक	जनपद का नाम पत्रांक/दिनांक	कम्बल कय किये जाने हेतु स्वीकृत धनराशि	अलाव जलाये जाने हेतु स्वीकृत धनराशि	जनपद हेतु स्वीकृत कुल धनराशि
1	2	3	4	5
1.	हमीरपुर, पत्रांक:225, दिनांक-07.11.2019	20.00	2.00	22.00
2.	गौतमबुद्ध नगर, पत्रांक:478, दिनांक-11.11.2019	15.00		15.00
3.	सोनभद्र, पत्रांक: 172	15.00		15.00

	दिनांक-07.11.2019			
4.	प्रतापगढ़, पत्रांक: 2212 दिनांक-22.10.2019	25.00		25.00
5.	ललितपुर, पत्रांक: 272, दिनांक-31.10.2019	20.00		20.00
6.	जौनपुर, पत्रांक: 258 दिनांक-11.11.2019	15.00		15.00
7.	आगरा, पत्रांक: 638 दिनांक-11.11.2019	50.00	03.00	53.00
8.	अलीगढ़, पत्रांक: 2476 दिनांक-07.11.2019	47.50		47.50
9.	चित्रकूट, पत्रांक: 1353, दिनांक-07.11.2019	10.00	01.00	11.00
10.	अमरोहा, पत्रांक: 95 दिनांक-07.11.2019	20.00		20.00
11.	बुलंदशहर, पत्रांक: 7851, दिनांक-11.11.2019	25.00		25.00
12.	रायबरेली, पत्रांक: 186, दिनांक-08.11.2019	15.00		15.00
13.	अयोध्या, पत्रांक: 93, दिनांक-18.12.2019	25.00	02.50	27.50
14.	गोण्डा, पत्रांक: 1062, दिनांक-06.11.2019	22.00		22.00
15.	बाराबंकी, पत्रांक: 650, दिनांक-09.11.2019	12.00		12.00
16.	प्रयागराज, पत्रांक: 1950, दिनांक-11.11.2019	40.00		40.00
17.	लखनऊ, पत्रांक: 1116 दिनांक-14.12.2019	40.00		40.00

18.	कानपुर नगर, पत्रांक: 1872, दिनांक-31.10.2019	20.00		20.00
19.	सुल्तानपुर, पत्रांक: 55, दिनांक-05.11.2019	25.00		25.00
20.	भदोही, पत्रांक: 161, दिनांक-26.10.2019	20.00		20.00
21.	संत कबीर नगर, पत्रांक: 2315, दिनांक-14.11.2019	10.00		10.00
22.	कुशी नगर, पत्रांक: 653 दिनांक-13.11.2019	36.00		36.00
23.	गोरखपुर, पत्रांक: 362, दिनांक-08.11.2019	76.50		76.50
24.	हापुड़, पत्रांक: 728, दिनांक-31.10.2019	09.00		09.00
25.	मिर्जापुर, पत्रांक: 1461, दिनांक-08.11.2019	20.00		20.00
26.	मेरठ, पत्रांक: 212 दिनांक-05.11.2019	25.00		25.00
27.	झांसी, पत्रांक: 194, दिनांक-13.11.2019	15.00		15.00
28.	देवरिया, पत्रांक: 352 दिनांक-11.11.2019	50.00		50.00
29.	गाजियाबाद, पत्रांक: 1188, दिनांक-07.11.2019	10.00		10.00
30.	हरदोई, पत्रांक: 2508 दिनांक-23.10.2019	20.00		20.00
31.	सीतापुर, पत्रांक: 317, दिनांक-11.11.2019	35.00		35.00
32.	बदायूं, पत्रांक: 1110 दिनांक-04.11.2019	13.50		13.50
33.	कासगंज, पत्रांक: 552, दिनांक-22.10.2019	03.00		03.00

कुल योग	804.50	8.50	813.00
(रु0 आठ करोड़ तेरह लाख मात्र)			

- (1) उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्यय के अनुदान सं0-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक **"2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-08-शीतलहरी/पाला हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय"** के नामे डाला जायेगा।
- (2) उक्त स्वीकृत धनराशि से जनपद में प्रति तहसील निर्बल, निराश्रित, आश्रयहीन एवं असहाय व्यक्तियों को शीतलहरी से निजात दिलाने के लिए नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद तथा नगर निगम एवं ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर सी0आर0एफ0 गाईड लाइन के अनुरूप यथोचित कार्यवाही की जाये।
- (3) सरकारी विभागों एवं शासकीय नियंत्रणाधीन उपक्रमों/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं (जिन्हें आगे क्रेता एजेंसी कहा गया है) द्वारा उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0, यूपिका, उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से उनके द्वारा वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्थाएँ, श्री गांधी आश्रम तथा उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम (पूर्ववर्ती उ0प्र0 निर्यात निगम) के माध्यम से लघु एवं कुटीर तथा हथकरघा इकाईयों द्वारा उत्पादित वस्त्रों की क्रय अनिवार्यता के संबंध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-221/18-2-2019-12(एस0पी0)/2010, दिनांक-24.7.2019 यथासंशोधित शासनादेश सं0-25/2019/527/18-2-2019-12(एस0पी0)/2010, दिनांक-06.12.2019 में दिये गये निर्देशानुसार कम्बल आदि का क्रय सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) उ0प्र0 खादी बोर्ड की प्रमाणित तथा वित्त पोषित संस्थाओं क्रयादेश हेतु सीधे आवेदन नहीं किया जायेगा अपितु उनके द्वारा यूपिका के पैटर्न पर बोर्ड के माध्यम से आपूर्ति की जायेगी। उ0प्र0 खादी बोर्ड अपने अधीन प्रमाणित तथा वित्त पोषित संस्थाओं की कार्य क्षमता के अनुरूप तथा गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने के अनुरूप अपेक्षित प्रक्रिया विकसित करेगा।
- (5) क्रय किया जाने वाले कम्बलों का दर पूर्व में निर्धारित दर रुपये 500 से अधिक न हो तथा मानक लंबाई कम से कम 235 सेमी0, चौड़ाई कम से कम 140 सेमी0 तथा वजन कम से कम 2 किलो 200 ग्राम होना चाहिए तथा इन कम्बलों में ऊन की मात्रा कम से कम 70 प्रतिशत होनी चाहिए। पुराने यार्न का प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्रय किये जाने वाले कम्बलों की उपरोक्तानुसार गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी।
- (6) आपूर्तित संस्था को इस आशय का टैग लगाना होगा जिस पर संबंधित संस्था का नाम कम्बल की लम्बाई, चौड़ाई एवं वजन का विवरण होगा। यह भी अंकित करना होगा कि कम्बल राजस्व विभाग सौजन्य से निशुल्क वितरित किया जा रहा है जो बिक्री के लिए नहीं है।
- (7) उक्त धनराशि का व्यय एम0एच0ए0 के पत्र सं0-32-7/2014-एन0डी0एम0-1, दिनांक 8.4.2015 द्वारा जारी गाईड लाइन में उल्लिखित अर्ह मानक मदों के अनुसार किया जायेगा।
- (8) निर्बल, निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को अत्यधिक ठण्ड व शीतलहरी से बचाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा बिना समय गवाएं जरूरत मंद व्यक्तियों को यथाशीघ्र समय से निशुल्क कम्बल आदि की सुविधा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ताकि अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी की पूरी अवधि हेतु उन्हें यह सुविधा प्राप्त हो सके।
- (9) निशुल्क कम्बल प्राप्त करने वाले व्यक्ति का विवरण जनपद स्तर पर रखा जायेगा तथा जनपद की वेबसाइट के साथ ही राहत की वेबसाइट पर अवश्य फीड कराया जायेगा।

(10) क्रय किये गये कम्बलों तथा अलाव जलाने पर व्यय की गयी धनराशि आदि का जिला स्तर पर समुचित लेखाजोखा रखा जायेगा तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित किया जायेगा।

(11) क्रय किये गये कम्बलों की गुणवत्ता मानक के अनुसार होने एवं क्रय के संबंध में शासन की दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(12) मण्डलायुक्त द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके अधीनस्थ जनपदों में क्रय किये जाने वाले कम्बलों की गुणवत्ता/मानक/मूल्य में बिना युक्ति-युक्त कारणों के अधिक अन्तर न हों।

(13) कम्बलों का वितरण एवं आलौव जलाने की अदयावधिक स्थिति राहत आयुक्त कार्यालय के कंट्रोलरूम के फैंक्स सं0-0522-2238084 अथवा 2236305 पर प्रेषित किये जाने के साथ राहत आयुक्त संगठन के ई-मेल rahat@nic.in पर प्रत्येक दिन शाम 4 बजे तक अवश्य उपलब्ध कराया जाए।

(14) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2020 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(15) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(16) उक्त निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(सुधीर सिंह चौहान)
विशेष सचिव।

संख्या- 616 (1)/एक-10-2019-12(34)/03 टीसी-1, तददिनांक।

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)- प्रथम/आडिट प्रथम, प्रयागराज, उ0प्र0।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 3- सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
- 4- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव उ0प्र0।
- 5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
- 6- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 7- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय, बापू भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
- 8- सम्बन्धित जनपदों के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कपिल कुमार कटियार)
अनु सचिव।

९